

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0-111-102(0001)/2014-66/आ0 दिनांक: 14.10.2014 के द्वारा शीर्ष 2015-निर्वाचन-102 निर्वाचन अधिकारी-0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना की 11 01 यात्रा व्यय, 13 01 कार्यालय व्यय एवं 13 06 वर्दी/पोशाक ईकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त आवंटन को निम्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुंगेर जिला को कॉलम 4, 7 एवं 10 में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्र 0	पदाधिकारी का पदनाम	यात्रा व्यय 11 01			कार्यालय व्यय 13 01			वर्दी/पोशाक 13 06		
		पूर्व में आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान में आवंटित राशि (₹ में)	कुल आवंटित राशि (₹ में)	पूर्व में आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान में आवंटित राशि (₹ में)	कुल आवंटित राशि (₹ में)	पूर्व में आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान में आवंटित राशि (₹ में)	कुल आवंटित राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	20000.00	20000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	3000.00	3000.00
	योग =	0.00	20000.00	20000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	3000.00	3000.00

- उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015-निर्वाचन-102 निर्वाचन अधिकारी- 0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना के अन्तर्गत उपर्युक्त इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।
- उपावंटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड- एन 2015001020001 है।
- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-4-05/98/2561वि0(2) दिनांक:17.04.1998, पत्रांक-ब-17/बी0 एस0जी0-07/2014-253/वि0 दिनांक 11.03.2014 एवं पत्रांक -ब-17/बी0 एस0जी0-07/2014-310 दिनांक 28.03.2014 के आलोक में आवंटित है।
- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उपावंटित राशि का व्यय किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- यह राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के कार्यों के लिए आवंटित है। इस आवंटित राशि में से पूर्व के वित्तीय वर्षों के किसी भी बकाया का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/बिक्री कर/वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये।
- भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवाकर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवाकर निबंधन संख्या/ सेवाकर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं इस संबंध में सुनिश्चित होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाय।
- आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

ह0/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक:/नि०, दिनांक:

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक:/नि०, दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, -सह-सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांक: 66/आ० दिनांक 14.10.2014 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 1931 /नि०, दिनांक: 02/11/14

प्रतिलिपि: ✓ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।